ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-2* May- 2019
Anthology : The Research

व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

अनीता शुक्ला
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
एम0एड0 विभाग,
अभिनव सेवा संस्थान
महाविद्यालय,
कानपुर

सारांश

मानवाधिकार की अवधारणा के विकास तथा विश्व स्तर पर इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र की ओर से हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के तीन वर्ष बाद सन् 1948 में महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में ऐलान किया था कि मानवाधिकार तथा मानवीय गरिमा का सम्मान विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति का आधार है। इस घोषणा पत्र में 30 धाराएँ हैं।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, भारतीय संविधन।

प्रस्तावना

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा (1948) की धारा 26 में शिक्षा का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी। इन अधिकारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक कदम उठाये हैं। 16 दिसम्बर 1966 को इसने दो प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार किये–

1. सामाजिक आर्थिक व सांस्कृति अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र।
2. नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र।

यह भी एक संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र में जब मानवाधिकारों पर चर्चा हो रही थी उसी समय भारत के संविधान व प्रणयन हो रहा था, परिणाम स्वरूप भारतीय संविधन में मानवाधिकारों को उच्च स्थान देते हुए उसे मौलिक अधिकारों के खण्ड में न केवल स्थान दिया गया बल्कि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपकर इसे गारण्टीकृत भी किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 1948 में हस्ताक्षर किये थे। केन्द्र सरकार द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किये जाने वाले मानवाधिकार संबंधित, अभिसमयों, प्रसंविदाओं के सम्यक पालन हेतु तथा सम्बन्धित दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया जाता है।

1994 में यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार शिक्षा के लिये दशक (1995 से 2004) मनाने का फैसला किया। मानवाधिकार शिक्षा का विश्व कार्यक्रम जनवरी 01, 2005– दिसम्बर, 3 2005 को शुरू किया गया।

भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद 1994 में इसके अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र ने कहा कि मानवाधिकार विषय को पाठ्यचर्या में स्पष्ट स्थान देना चाहिए।

''मानवाधिकार शिक्षा क्या है? मानवाधिकार शिक्षा व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के सम्मान के लिए जागरूकता लाने का एक साधन है। यह शिक्षा मानव समाज में तालमेल, खुशी एवं शान्ति बनाये रखने के लिये भी जागरूकता लाने का प्रयास करती है। यह मानवाधिकारों का ज्ञान कराने वाली शिक्षा प्रणाली मनुष्य को गुलामी से छुटकारा दिलाने एवं संकीर्ण विचारों से बाहर निकालने का एकमात्र साधन है। मानवाधिकार शिक्षा स्वयं अपने ही अधिकारों के बारे में पढ़ने और स्वीकारने के द्वारा मनुष्य के सामाजिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। एक विश्वव्यापी सभ्यता बनाना ही मानवाधिकार शिक्षा का लक्ष्य है।''

सारांशतः हम कह सकते हैं कि सच्ची शान्ति और आजादी तभी हासिल की जा सकती है जब हम प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त मानवीय गरिमा का सम्मान करें और ऐसी सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था कायम करें जो सबके लिये सम्मान व न्यायपूर्ण हो और ऐसा तभी सम्भव है जब मानवाधिकारों का हनन रोका जाये। मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिये लोगों में इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है और इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है शिक्षा तथा मानवाधिकार शिक्षा मानव के अधिकार का ज्ञान प्रदान कर मानव को अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तथा अवसर प्रदान करने के साथ ही ऐसा वातावरण रचने में सहायता प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक मानव एक दूसरे मानव को मानव के रूप में स्वीकार करके उसके अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो जाता है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। आज शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता निरक्षरता मिटाना है। भारत में जहाँ साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है, वहीं मानवाधिकार शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन होता है तथा व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने में अक्षम रहता है। अतः आज आवश्यकता है कि भावी पीढ़ी को समय से पूर्व ही मानव अधिकार के प्रति मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से जागरूक किया जाये जिससे आने वाले समय में वे मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। मानवाधिकारों की अज्ञानता के अंधकार को मानवाधिकार शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

अतः यदि विद्यालयों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा को स्थान दिया जाये तो वर्तमान में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को निश्चित ही रोका जा सकेगा।

इसमें अतिरिक्त प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए सामाजिक बुराईयों को दूर करने, महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिये, राष्ट्रीय विकास के लिये, विश्व शान्ति के लिए व प्रत्येक मानव को सम्मान जनक जीवन जीने योग्य बनाने के लिये मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है।

UNESCO, UNO, UNHRC, NHRC, SHRC, NACHRET, NHRI, U.G.C इत्यादि संगठन एवं संस्थाएँ भी मानवाधिकार शिक्षा व इसको पाठ्यक्र में स्थान देने तथा इसके प्रारूप के सम्बन्ध में व्यक्तियों के विचार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर रही हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में मानवाधिकार शिक्षा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं के केन्द्र बिन्दु में हैं। यह मानवीय गरिमा, शान्ति व लोकतंत्र के विकास से सम्बन्धित है। किन्तु मानवाधिकार शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में स्थान देने के सम्बन्ध में विभिन्न, शिक्षाविदों व्यक्तियों एवं अभिभावकों के विचारों का अध्ययन तो किया गया परन्तु स्नातक स्तर के विभिन्न व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र जो आगे आने वाली पीढ़ी में जागरूकता उत्पन्न करने में आधार बनेंगे, के सम्बन्ध में कम अध्ययन हुए हैं इसलिये शोधकर्त्री ने इस समस्या ''व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'' को अपने शोध पत्र हेतु चुना है।

समस्या कथन

''व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन''।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

शोध समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

शोध उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्त्री द्वारा शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया जो निम्न है :–

$H0_1$ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन छात्र/छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

$H0_2$ अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन छात्र/छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन का सीमांकन

अध्ययन का परिक्षेत्र कानपुर नगर को बनाया गया है। अध्ययन में व्यवसायिक तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनत् स्नातक स्तरीय छात्र–छात्राओं को चुना गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त शोध विधि

प्रस्तुत शोध समस्या की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए प्रस्तुत शोध हेतु विवरणात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का न्यादर्श

शोधकर्त्री ने न्यादर्श के रूप में कानुपर नगर के विभिन्न व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में से 2 व्यावसायिक शिक्षण संस्थान तथा 2 अव्यावसायिक शिक्षण संस्थान का चुनाव किया। व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों (50 छात्र/50 छात्राएँ) तथा अव्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के स्नातक स्तरीय अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों (50 छात्र/50 छात्राओं) का चयन किया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श विधि

सम्भाविता न्यादर्श की यादृच्छिक न्यादर्श विधि की लाटरी प्रविधि द्वारा शिक्षण संस्थानों का चयन किया।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

शोधकर्त्री द्वारा प्राप्तांकों को व्यवस्थित करने के पश्चात् आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान (M), मानक विचलन (S.D.) एवं (C.R.) की गणना की गयी।

परिणामों का समग्र विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1
परिणामों का समग्र विश्लेषण

परिकल्पना संख्या	संख्या		माध्य		मानक विचलन		C.R.	0.01 सार्थकता स्तर
	N1	N2	M1	M2	$\sigma 1$	$\sigma 2$		
1	50	50	91.74	83.84	16-90	19-88	2.14	2-63
2	50	50	94.44	95.88	17-16	14-02	0.45	2-63

परिकल्पना $H0_1$ के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा छात्राओं में सार्थक अन्तर नहीं है इसका सम्भावित कारण यह हो सकता है कि दोनों ही समान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् है। लगभग समान आयु तथा समान परिवेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण समान रूप से रखते हैं।

परिकल्पना $H0_2$ के परीक्षण से ज्ञात होता है कि अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थ अन्तर नहीं है। इसका सम्भावित कारण यह हो सकता है कि दोनों ही मानवाधिकार शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हैं तथा इसे विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त प्रथम परिकल्पना परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों तथा व्यावसायिक

पाठ्यक्रमों की छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थ अन्तर नहीं है। द्वितीय परिकल्पना के परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अव्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों तथा अव्यावसायिक पाठ्यक्रम की छात्राओं की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

आज मानवाधिकार शिक्षा की महत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वर्तमान समय में मानवाधिकारों का हनन एक आम समस्या है। ऐसे समय में मानवाधिकार शिक्षा ही मानवाधिकारों के हनन जैसे कुकृत्य को रोकने के हथियार का काम कर सकती है क्योंकि इतने कानूनों के निर्माण के फलस्वरूप, मानवाधिकार हनन की घटनाएँ, पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचार, बालश्रम का बढ़ना, शिक्षा का सर्वसुलभ न बन पाना, लिंग भेद की समया मानवीय मूल्यों हनन, आतंकवाद का बढ़ना इत्यादि जैसी घटनाएँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन होती हैं जिसका जिम्मेदार स्वयं मानव है तथा इसका मुख्य कारण मानवाधिकारों के ज्ञान की कमी है। मानवाधिकारों के अज्ञान के इस अन्धकार को मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ को निम्न प्रकार से बिन्दुवार किया जा सकता है :–

1. प्रस्तुत शोध के परिणाम, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण के आधार पर मानवाधिकार शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2. प्रस्तुत शोध के परिणाम अध्यापकों के चुनाव व उनकी प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार कराने में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
3. प्रस्तुत शोध के परिणाम, मानवाधिकार संगठनों व NGO's को अपने कार्यक्रमों को दिशा देने में उपयोगी हो सकते हैं।
4. प्रस्तुत शोध लोगों को मानवाधिकार शिक्षा तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बनायेगी।

भावी अध्ययन हेतु सुझाव

शोधकर्त्री ने भावी शोध हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये हैं :–

1. मानवाधिकार शिक्षा का विश्व शान्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
2. मानवाधिकार शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कपूर, एस, के मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, सेन्ट्रल लॉ, एजेन्सीज, इलाहाबाद।*
2. *मानवीय मूल्य शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।*
3. *त्रिपाठी, टी0पी0 (2000) : मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।*
4. *सुलेमान, मुहम्मद (1997–98), 'व्यवहारपरक विज्ञानों में शोध प्रणाली विज्ञान', शुक्ला बुक डिपो, पटना।*